राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ–227132

संख्या–ई.स. 1905 /जी.एस.
दिनांकः 11 / 10 / 2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अनु सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

महोदय,

आपके पत्रांकः लो०अ०वि०वि० / सम्ब० / १३४ / २००६ दिनांक १४–०७–२००६ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ की धारा–३७ (२) के "परन्तुक" के अधीन माँ कमला महाविद्यालय,ढारवा, मेदनीपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत हिन्दी,संस्कृत,अँग्रेजी,समाजशास्त्र,प्राचीन इतिहास,शिक्षाशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१–०७–२००६ से आगामी तीन वर्षो हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी हैः–

१– महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र "बी" में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

२– महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं की मानकानुसार नियुक्ति कर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा तथा अनुमोदित प्रवक्ताओं को शासनादेशानुसार वेतन प्रदान किया जायेगा एवं सी०पी०एफ० की कटौती की जायेगी।

३– महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का विश्वविद्यालय से अनुमोदन करा लिया जायेगा।

४– महाविद्यालय द्वारा सोसाइटी का नवीनीकरण करा लिया जायेगा।

५– महाविद्यालय द्वारा भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधितः अन्तरित करा लिया जायेगा।

६– संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–२८५१ / सत्तर–२–२००३–१६ (६२) / २००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

७– यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–१९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियाँ आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

१– सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

२– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

३– प्रबन्धक / प्राचार्य, माँ कमला महाविद्यालय,ढारवा, मेदनीपुर, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर।

(विजय कुमार सिंह)
कुलाधिपति के अनु सचिव